

06.09.2022:- आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादीया माया जरिये अधिवक्ता श्री सोमप्रकाश शर्मा उपस्थित आये। वादीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका रिस्तेदारो ने राजीनामा करवा दिया है इसलिये वादीया अपने वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। वादीया अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीया के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादीया की पहचान वादीया अधिवक्ता श्री सोमप्रकाश झोरड द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादीया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

